



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062021-227531
CG-DL-E-12062021-227531

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2078]
No. 2078]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISHTHA 19, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.आ. 2238(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट NH44 के किमी 86+700 किमी से 104+7 किमी, तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरण / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH44 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उपायुक्त जम्मू	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH44 के कि.मी. 95	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	जम्मू साउथ	1 नरवाल पेन

		से 104.7 तक			
--	--	----------------	--	--	--

[फा. सं. NHAI/PIU/Jammu/DPR-Satwari/0001]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th June, 2021

S.O. 2238(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 86.700 to Km. 104.750 of the NH44 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of JAMMU & KASHMIR

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH44 in the State of JAMMU & KASHMIR.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Commissioner Jammu	95KM To 104.7KM	JAMMU & KASHMIR	JAMMU	Jammu South	1 Narwal Pain

[F. No. NHAI/PIU/Jammu/DPR-Satwari/0001]

RAJEESH GUPTA, Director